## बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग अधिसूचना

संख्या—05 / न0वि0(गठन)—04 / 2017 🛇 💇 / बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा—4 के अधीन पूर्व प्रकाशित प्रारूप अधिसूचना संख्या—2728 दिनांक—13.04.2017 द्वारा घोषित संक्रमणशील क्षेत्र के लिए धारा-5 के अधीन प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक् विचारोपरान्त अधिनियम की धारा-6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, बिहार एतद्द्वारा औरंगाबाद जिलान्तर्गत दाउदनगर नगर पंचायत की वर्त्तमान परिधि में पड़ने वाले क्षेत्रों एवं उसकी वर्त्तमान चौहद्दी को नगर परिषद,

दाउदनगर के रूप में गठित करती है, जिसे नगर परिषद् दाउदनगर कहा	जायेगा।
2. यह अधिसूचना तुंरत प्रवृत्त होगी।	11
	बिहार राष्ट्रभूगल के आदेश से,
	277-12717
	(चैतन्य प्रसाद)
Y. L	प्रधान सचिव
नग	र विकास एवं आवास विभाग
संo संख्या—05 / नoविo(गठन)—04 / 2017 <sup>5</sup> नoविoएवं.आoविo	∕ पटना, दिनांक <b>–ෛ 🗗 🕅</b> 🗘 🕽 🕽 🗡
प्रतिलिपि:-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को,	बिहार गजट के असाधारण अंक में
प्रकाशनार्थ प्रेषित।	$\Omega_{A}$
2. उनसे अनुरोध है कि वे प्रकाशित गजट की 200 प्रतियाँ नगर विक	गस एवं आवार्ष विभाग को उपलब्ध
करावेंगे।	( Xazlah ara
	प्रधान सचिव
	विकास एवं आवास विभाग
सं0 संख्या—05 / न0वि0(गठन)—04 / 2017 <b>५०००</b> / न0वि0एवं.आ0वि0	
प्रतिलिपि:-सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंड	लीय आयक्तं / सभी जिला
पदाधिकारी / महालेखाकार, बिहार, पटना / स्थानीय लेखा परीक्षक, बिह	<sub>शर,</sub> पटना∕कोषागार पदाधिकारी,
औरंगाबाद / माननीय मुख्य मंत्री के आप्त सचिव / माननीय मंत्री के आप्त	सिचव, नमूर विकास एवं आवास
विभाग / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एव आवास	विभाग क्रो/प्रचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यार्थ प्रेषित।	1/2/2/2
$T_{ij}$	21/7/2017
	प्रधान सचिव /
न संदर्भाष्ट्रम् २५ (२०१५) २५ (२०५५)	गर विकास एवं आवास विभाग
संव संख्या—05 / नविव (गठन)—04 / 2017 🗫 / नविव एवं आविव	् / पटना, <b>ब्रिनां</b> क <b>- १८८१ -</b> २५११ <del>२</del>
प्रतिलिपि:—सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, सोन भवन, पटना प्रेषित।	को सूचनार्थ ५व आवश्यक कार्यार्थ
LUPIK	F//

नगर विकास एवं आवास विभाग

## बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग अधिसचना

संख्या-05 / न0वि०(गठन)-04 / 2017 5 ००० अधिसचना संख्या-दिनांक 29 - 719/का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से.

(चैतन्य प्रसाद) प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग

Government of Bihar **Urban Development and Housing Department** 

Memo No-05/N.vi (Gathan)-04/2017 /After due consideration on objection received under section-5 for transitional areas declared by previously published draft Notification No-2728 dated-13.04.2017 under section-4 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11 of 2007) in exercise of the powers conferred under section-6 of the Act, the State Government of Bihar is hereby pleased to constitute the areas falling in the present circle of Nagar Panchayat Daudnagar and its present boundaries within the district of Aurangabad as the Nagar Parishad, Daudnagar, which will be called the Nagar Parishad, Daudnagar.

2.

This notification shall come in to force at once. By the order of the Governor of Bihar (Chaitanya Prasad) **Principal Secretary** Urban Development and Housing Department Memo No- 05/N.vi (Gathan)-04/2017 5001 D&HD Dated: 201.7/14 Copy to the Superintendent, Secretariat Printing Press, Gulzarbagh, Patna for its publication in an extra ordinary issue of the Bihar Gazette. He is requested to make available 200 copies of the Gazette to Urban Development and Housing Department. Principal Secretary Urban Development and Housing Department Memo No- 05/N.vi (Gathan)-04/2017 500 D&HD Dated: 28/17/17 Copy to All Departments/All Departmental Heads/All Divisional Commissioners/All District Magistrates/Accountant General Bihar, Patna/ Auditor of Local Accounts Bihar, Patna/ Treasury Officer, Aurangabad / Private Secretary to the honorable Chief Minister/ Private Secretary to the honorable Minister Urban Development and Housing Department/Pringipal/Private Secretary to the Principal Secretary, Urban Development and Housing Department for information and necessary action. Principal Secretary Urban Development and Housing Department Memo No- 05/N.vi (Gathan)-04/2017 500) D&HD Dated:-201.7112

Copy to Secretary, State Election Commission Bihar, Son Bhawan, Jatra for information and necessary action.

Principal Secretary

Urban Development and Housing Department